

कुष्ठ पीडितों के प्रशिक्षण के लिये कार्यशाला आयोजित
कुष्ठ पीडितों के प्रति समाज में संवेदनशीलता जगाने की जरूरत ---राज्यपाल

लखनऊ: 27 मई, 2015

कुष्ठ रोगियों के मानवीय अधिकारों की रक्षा केवल कागजी न होकर उनके सशक्तीकरण के लिये होनी चाहिये। उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये जन-आन्दोलन की आवश्यकता है। समाज का विकास अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास पर निर्भर है। कुष्ठ पीडित समाज के सबसे नीचे पायदान पर हैं। कुष्ठ पीडितों को लोग घृणा से देखते हैं। समाज को कुष्ठ पीडितों के प्रति व्याप्त कुरीतियां, सोच एवं भावनाओं को बदलने की जरूरत है। मानवीय प्रतिष्ठा कुष्ठ पीडितों को भी मिलनी चाहिये। समाज में संवेदनशीलता जगाने की जरूरत है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि कुष्ठ रोग संक्रामक नहीं है उचित इलाज से यह रोग पूर्ण रूप से दूर किया जा सकता है। कुष्ठ पीडितों के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांति एवं नफरत को दूर करके ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। कार्यशाला के माध्यम से वैचारिक बदलाव के अभियान का शुभारम्भ होना चाहिये। यह विचार प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने आज कुष्ठ पीडितों के लिये आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में व्यक्त किये।

राज्यपाल की पहल पर आज एन०बी०आर०आई० के प्रेक्षागृह में 'कुष्ठ पीडितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी' के विषय पर दो द्विविषय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री अहमद हसन, राजनैतिक पेंशन मंत्री, श्री राजेन्द्र चौधरी तथा अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण संघ, डा० विकास आमटे, संयोजक श्री शरद भोसले, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री विष्णु सहाय सहित अन्य विशिष्ट जन व विभिन्न आश्रमों से आये कुष्ठ पीडित भाई-बहन व उनके परिवार के सदस्यगण भी उपस्थित थे।

श्री नाईक ने कहा कि आगामी 8-9 जुलाई को अम्बेडकरनगर तथा 12-13 अगस्त को बहराइच में ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अलग-अलग स्थान के कुष्ठ पीडित जन सहभाग कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है इस कार्यशाला से कुष्ठ पीडितों व समाज के बीच एक अच्छा सन्देश जायेगा। कुष्ठ पीडितों को समाज में लोग घृणा की निगाह से देखते हैं तथा घर-परिवार सब छूट जाता है। परिवार के साथ जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है। इनके बच्चों को शिक्षा और रोजगार भी नहीं मिलता। इनको अलग बस्ती बनाकर रहना पड़ता है। कुष्ठ पीडितों की बस्ती में नागरिक सुविधाओं की भी कमी रहती है। ऐसे में कुष्ठ पीडितों के लिये सिवाए भिक्षावृत्ति के जीवन यापन का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उन्होंने कहा कि कुष्ठ पीडितों को भी समाज में सबके साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है।

राज्यपाल ने बताया कि राज्यपाल बनने से पूर्व वे इण्टरनेशनल लेप्रेसी यूनियन का अध्यक्ष रहे, बाद में त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 2007 में कुष्ठ पीडितों की समस्याओं के संबंध में उन्होंने राज्यसभा में एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर तब कोई निर्णय नहीं हो सका। संसदीय याचिका समिति ने अब प्रति व्यक्ति 2000 रु० मासिक निर्वहन भत्ता देने की संस्तुति की है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी के शहीदी दिवस जो अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, पर प्रति व्यक्ति 2500 रु० माह देने का आश्वासन दिया है, जो जारी वित्तीय वर्ष में देय होगा।

कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री अहमद हसन ने कहा कि सरकार कुष्ठ पीडितों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुष्ठ पीडितों का निर्वाह भत्ता 2500 रुपये प्रति माह देने की बात कही है। समाज में कुष्ठ पीडितों के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। उन्होंने राज्यपाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्यपाल ने कुष्ठ पीडितों द्वारा राजभवन में भजन सन्ध्या

का कार्यक्रम रखकर वास्तव में बहुत बड़ा सन्देश दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी व बाबा आम्टे ने कुष्ठ पीडितों की सेवा करके देश की इज्जत बढ़ाई है।

राजनैतिक पेन्शन मंत्री, श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा कि कुष्ठ रोगियों की सेवा एक पवित्र काम है। समाज उन्हें कुछ दे या न दे लेकिन सम्मान जरूर मिलना चाहिये। कुष्ठ पीडितों के प्रति मानवीय लगाव होना चाहिये। कुष्ठ पीडितों से अछूत जैसा व्यवहार वास्तव में मानव सभ्यता के लिये गिरावट का सूचक है। ऐसे रोगियों के प्रति अछूत की भावना का स्थान नहीं होना चाहिये। अंधविश्वास, कुरीति व गलत परम्परा को दूर करने का प्रयास होने चाहिये। कुष्ठ पीडितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सरकार के साथ-साथ आम जनता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

डा० विकास आम्टे, अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण संघ ने कहा कि कुष्ठ पीडितों के प्रति गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। कुष्ठ एक रोग है जिससे कोई भी व्यक्ति पीडित हो सकता है। पीडित व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है कुष्ठ रोग का पूर्ण इलाज सम्भव है। विश्व के सभी देशों में इस रोग से लोग पीडित हैं। कानून बदल गया मगर समाज नहीं बदला। उन्होंने कहा कि कुष्ठ पीडितों की समस्याओं के समाधान के लिये समाज की भागीदारी होनी चाहिये।

डा० शरद भोसले, कार्यकारी संचालक ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि संस्था इससे पूर्व कई जगह ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर चुकी है। कुष्ठ पीडितों के बच्चों के साथ भी अमानवीय व्यवहार होता है, जिससे उनके बच्चे भी हीनभावना का शिकार हो जाते हैं। कुष्ठ पीडितों के कारण उनके बच्चों को भी सामाजिक बहिष्कार और कलंक का सामना करना पड़ता है। कुष्ठ पीडितों का इलाज उनका बहिष्कार करने से नहीं, बल्कि संवेदना से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भ्रान्तियों को दूर करने के लिये जन-जागृति आवश्यक है।

दो द्विविषीय कार्यशाला का आयोजन राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण संघ, हैल्थ एलायन्स एवं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स अपफेक्टेड बाय लेप्रोसी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। कार्यशाला में कुष्ठ पीडितों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिये प्रशिक्षण, उनके कल्याण से जुड़े अन्य विषयों तथा समाज की भागीदारी पर भी गहनता से विचार-विमर्श किया जायेगा, जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।।



